तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
1/11/19	पत्रावली प्रतिवादी के आवेदन पत्र धारा 152 सी.पी.सी पर पुनः नम्बर पर ली गई।
	पत्रावली पुनः दर्ज हो।
	प्रतिवादी ने धारा 152 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया की दौराने दावा वादी बडीप्रसाद की मृत्यु हो चुकी थी, मृतक वादी बडीप्रसाद के वारिसान को रेकर्ड पर लिये जा चुके थे, तथा प्रकरण में संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत हो चुका था, जो रेकर्ड पर है। अदालत द्वारा अन्तिम निर्णय पारित किया गया उसमें सहवन लिपिकीय त्रुटि के वजह से प्रकरण के निर्णय में अनवान में बडीप्रसाद का नाम दर्ज हो गया, जबकि बडीप्रसाद के कायम मुकाम पहले से ही अभिलेख पर थे के नाम दर्ज होने थे, उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है। जिसे धारा 152 सी.पी.सी के तहत दुरुस्त करना न्याय हित में आवश्यक है।
	प्रार्थना पत्र पर सुना, पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया, पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है, कि दिनांक 22/2/11 को वादी के कायम मुकाम वादी के वारिसान द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था जो

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

के संलग्न है। निर्णय पत्रावली के वल्ल शीर्षक अनवान लेखन के वक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि वश बद्रीप्रसाद का नाम टाईप हो गया, जब कि वास्तव में बद्रीप्रसाद के कायम शान्ति पत्नि बद्रीप्रसाद, प्रेम सुरज पुत्र बद्रीप्रसाद, पुष्पादेवी बेवा वासुदेव, मुकेश कुमार पुत्र वासुदेव, जितेन्द्र कुमार पुत्र वासुदेव जाति सोनी निवासी बालोतरा टाईप होना चाहिए था। उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय के शीर्षक अनवान में वादी बद्रीप्रसाद लिखा हुआ है के स्थान पर उसके वारिसान का नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है संशोधित शीर्षक निर्णय अनवान दर्ज किया जावे। शेष निर्णय यथावत रहेगा इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली मौजल कुमार लेकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner